2023
151

अज अदालत
फर्द अहकाम
(नियम 26)

देदाराम पुत्र प्रतापराम
जाति जाट निवासी कपूरड़ी
तहसील कल्याणपूर व जिला बाड़मेर

बनाम

1.सरपंच ग्राम पंचायत आसराबा चौहान
2. चम्पादेवी पत्नि प्रतापराम वगैरा
जाति जाट निवासी कपूरड़ी
तहसील कल्याणपूर
मुकदमा स.04/2023

तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिश्यिल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील मे जारी हुए
12.4.2023	महोदय यह अपील अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री अचलाराम थोरी द्वारा अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पेश किया गया है। 1.कोर्ट फीस पूर्ण है। 2.वाछित दस्तावेज सलंग्न/पूर्ण है। 3.प्रस्तुत अपील न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है। 4.अतः म्याद के बिन्दु को सुरक्षित रखते हुए अपील दर्ज करने योग्य है। अवलोकनार्थ एंव आदेशार्थ उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.एम)बालोतरा	
12.4.2023	यह अपील अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री अचलाराम थोरी द्वारा अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पेश की गई है। जो म्याद के बिन्दु को सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर हो। वकील अपीलाण्ट की ओर से निवेदन किया कि उतरदातागण की रजिस्ट्रर्ड तलबी जारी की जावें। रजिस्ट्री खर्चा अपीलाण्ट वहन करने के लिए सहमत है। अतः वकील अपीलाण्ट के निवेदन पर उतरदातागण की रजिस्ट्रर्ड तलबी जारी की जावें। दस्ती वकील अपीलाण्ट को दी जावें। पत्रावली वास्ते–उतरदातागण की तलबी व जवाब हेतु दिनांक 08.6.2023 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा	
08.6.2023	पत्रावली पेश हुई। अपीलांट मय [illegible] वकील उपस्थित। उत्तरदाता [illegible] तरफ से श्री [illegible] वकालतनामा पेश किया गया। उत्तरदाता [illegible] 2 व 3 स्वयं उपस्थित हुए, इनकी ओर से इकबालिया जवाब पेश किया।	[illegible] चम्पादेवी देदाराम

गया। इसी पश्चात वकील श्री अचलाराम थोरी द्वारा दी गई रेस्पोन्डन्ट को जारी [illegible]

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.06.29 14:27:59 IST
Reason: SelfAttested

शामिल नोटिस की रसीदें पेश की गई, जो व्यक्तिगत तौर पर तामील हो। उभयपक्ष की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील अपीलांट ने निवेदन किया कि मृतक प्रतापराम के अपीलांट व उत्तरदाता संख्या 2 व 3 वारिस है और प्रतापराम के फौत होने पर भरे गये फौती नामान्तकरण संख्या 113 व 25 में अपीलांट का वास्तविक नाम देवाराम के स्थान पर गलत नाम दिनेशकुमार इन्द्राज किया गया, जो कि अशुद्ध इन्द्राज किया है, जो अपीलांट की अपील स्वीकार कर विवादित नामान्तकरण में सही नाम देवाराम इन्द्राज करवाने का आदेश फरमावें।

वकील अपीलांट की बहस का समर्थन करते हुए उत्तरदाता संख्या 01 ने असापत्ति जाहिर की गई और उत्तरदाता संख्या 2 व 3 ने अपीलांट की अपील स्वीकार करने पर सहमति दी गई। हमने उभयपक्ष की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड व दस्तावेजात का गम्भीरता पूर्वक अवलोकन किया। जिसमें पाया कि विवादित नामान्तकरण संख्या 113 व [illegible] प्रतापराम के फौतगी पर [illegible] वारिसान के नाम भरा गया [illegible] अपीलांट का गलत नाम दिनेशकुमार इन्द्राज हो रखा है, के स्थान

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.06.29 14:27:59 IST
Reason: SelfAttested

04/2023

हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

देवराम इन्द्राज कलबी की इतलदुनी है, जो स्वीकार योग्य है। क्योंकि पक्षकारान की संयुक्त खातेदारी का कृषि खेत ग्राम कपूरड़ी पटवार मण्डल [illegible] तहसील कल्याणपुर की खेत खसरा नम्बर 1516 व 1517 में अपीलांट का सही नाम देवाराम पुत्र प्रतापराम दर्ज हो रखा है। इसी प्रकार अपीलांट के दस्तावेजात यथा - जन आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, आधार कार्ड व माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा जारी माध्यमिक परीक्षा [illegible] प्रमाण-पत्र, [illegible] माध्यमिक विद्यालय कल्याणपुर द्वारा जारी स्थानान्तरण प्रमाण पत्र (T.C.) [illegible] भी अपीलांट का वास्तविक नाम देवाराम अंकित हो रखा है एवं [illegible] खेड़ा पं.स. कल्याणपुर द्वारा जारी प्रमाण पत्र में भी देवाराम सही नाम अंकित किया है। उपरोक्त सबूत से स्पष्ट है कि अपीलांट का वास्तविक नाम देवाराम है और उत्तरदाता की उक्त तथ्यों को स्वीकार किए गए है। तथा अपीलांट अपील स्वीकार करने में सहमति प्रदान की गई है ऐसी स्थिति में अपीलांट अपील स्वीकार योग्य है।

लिहाजा अपीलांट की अपील [illegible] सुनकर स्वीकार की जाती है। ग्राम [illegible] की खसरा नम्बर 258 के संबंध

[signature]

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.06.29 14:27:59 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियल्य जज
	में पारित नामान्तकरण संख्या 113 व ग्राम-कगाणीयों की ढाणी की खसरा नम्बर 11 के संबंध में पारित कोतवाली नामान्तकरण संख्या 25 निरस्त करते हुए विवादित अपीलाधीन भूमि में अपीलांट की अशुद्ध नाम प्रविष्ट गनेशकुमार के स्थान पर सही नाम देदाराम पुत्र प्रतापराम इन्द्राज करने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार कल्याणपुर को निर्देशित किया जाता है कि ... रेकर्ड में अमल ... की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करावें। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैसल ... दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.06.29 14:27:59 IST
Reason: SelfAttested

04/2023
12.4.23
08.6.23
(S.D.O.)